

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2673
दिनांक 11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में एनएससीईएम का कार्यान्वयन

2673 श्री संजय राउत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन (एनएससीईएम) के तहत, विशेष रूप से महाराष्ट्र और ज्यादा प्रभावित राज्यों में, लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जांच, निदान और उपचार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चिकित्सा संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से मुफ्त जांच शिविर के लिए प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है, और रोगियों का समय पर पता लगाने और अनुवर्ती देखभाल के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) सिकल सेल रोगियों के वास्तविक समय पंजीकरण और देखभाल के लिए देशव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है, और यदि यह संचालित नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीईएम) के तहत, प्रभावित 17 जनजातीय राज्यों में जिला अस्पतालों (डीएच) से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में 0-40 वर्ष के लक्षित आयु वर्ग में सिकल सेल रोग (एससीडी) के निदान के लिए जांच की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने एक राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल अर्थात् <https://sickle.nhm.gov.in> आरंभ किया है, जहां जांच की उपलब्धियों को देखा जा सकता है।

राज्यों द्वारा एससीडी पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 04.08.2026 तक महाराष्ट्र सहित देश के जनजाति बहुल क्षेत्रों में 7.27 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है और कुल 2,49,167 व्यक्तियों को एससीडी

से पीड़ित और 20,47,145 व्यक्तियों को एससीडी का वाहक पाया गया है। दिनांक 04.08.2026 तक महाराष्ट्र और अन्य उच्च रोग भार वाले राज्यों में राज्य-वार जांच किए गए कुल व्यक्तियों की संख्या, "वाहक" और "रोगी" के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

दवाओं तक पहुंच की समस्या के समाधान हेतु हाइड्रोक्सीयूरिया को उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी)/शहरी पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और डीएच में राष्ट्रीय एनएचएम की आवश्यक औषधि सूची में शामिल किया गया है। यह मंत्रालय महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सिकल सेल एनीमिया की जांच और दवाओं की खरीद हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ए.ए.एम.-एस.एच.सी. और ए.ए.एम.-पी.एच.सी. के माध्यम से एस.सी.डी. से पीड़ित रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

- रोगग्रस्त व्यक्तियों की नियमित अंतराल पर फॉलो-अप।
- जीवनशैली प्रबंधन, पूर्व-विवाह और प्रसव पूर्व निर्णयों के बारे में परामर्श।
- फोलिक एसिड की गोलियों के वितरण के माध्यम से पोषण अनुपूरण सहायता।
- योग और स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन।
- संकटकालीन लक्षणों का प्रबंधन और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा केंद्रों में रेफरल।

दिनांक 11.08.2026 के राज्य सभा के अतारंकित प्रश्न संख्या 2673 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अनुलग्नक

दिनांक 04.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार जांच किए गए कुल व्यक्तियों, "वाहक" और "रोगी" के रूप में चिन्हित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	की गई कुल जांच	वाहकों की संख्या	रोगियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	14,97,392	21,806	2,290
2	असम	12,15,489	1,633	345
3	बिहार	2,41,275	1	15
4	छत्तीसगढ़	1,78,50,109	3,48,808	28,384
5	गुजरात	83,68,923	5,48,875	30,548
6	झारखंड	28,05,125	5,091	2,427
7	कर्नाटक	3,58,164	4,519	582
8	केरल	1,87,960	5,484	1,506
9	मध्य प्रदेश	1,33,69,993	2,45,024	40,741
10	महाराष्ट्र	1,12,10,599	2,26,443	30,017
11	ओडिशा	67,84,186	6,09,503	1,06,969
12	राजस्थान	37,09,177	8,453	2,955
13	तमिलनाडु	4,77,362	9,818	820
14	तेलंगाना	11,60,730	7,722	630
15	उत्तर प्रदेश	7,64,873	85	35
16	उत्तराखंड	1,53,751	69	6
17	पश्चिम बंगाल	25,54,906	3,811	897
	कुल	7,27,10,014	20,47,145	2,49,167
